वाद बाबत् घोषणा एवं वादीगण का नाम संयुक्त खाते में दर्ज करने अंतर्गत धारा 88 सपठित धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :— 1. श्री अमृतलाल पंचाल, अभिभाषक वादीगण
2. पेरोकार सरकार

:: निर्णय ::

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा वाद इस आशय का पेश किया गया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 एक ही पिता हिरा की संताने होकर आपस में सगे भाई है। ग्राम विरपुर के खाता संख्या 163/161 के खसरा नम्बर 46 रकबा 04 बिस्वा, 47 रकबा 8 बीघा 04 बिस्वा, 48 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा, 50 रकबा 11 बिस्वा 51 रकबा 02 बिस्वा, 52 रकबा 01 बिस्वा, 59 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, 811 रकबा 10 बिस्वा, 814 रकबा 12 बिस्वा, 894 रकबा 2 बीघा 05 बिस्वा एवं 895 रकबा 2 बीघा कुल किता 11 रकबा 19 बीघा 02 बिस्वा दर्ज रेकार्ड है जो पेतृक होकर प्रतिवादी सं. 1 बडा भाई होने से उसके खाते दर्ज हो गई है जबकि मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 संयुक्त रूप से आज तक अवरिल रूपेण काश्त काबिज है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में

Scanned by CamScanner

मकानात बने है तथा कुंआ खुदा है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 के साथ वादीगण का नाम दर्ज किया जावे।

वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ने उपस्थित होकर वादीगण के वाद को अस्वीकार किया। प्रतिवादी सं. 2 फार्मल पक्षकार है।

वादीगण के वाद एवं प्रतिवादी सं. 1 के जवाब के क्रम में वाद के निर्णय हेतु निम्न तनकीयात कायम की गई–

1. आया वाद मौजा वीरपुर प.ह. मेवाड़ा, तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर के खाता सं. 163 व 161 पुराना में जमीन 19 बीघा 02 बिस्वा भूमि में वादीगण खातेदारी हक प्राप्त करने के अधिकारी है। ––जिम्मे वादी
2. आया वाद मौजा वीरपुर प.ह. राजपुर मेवाड़ा के खाता नं. 163 नया 161 पुराना में प्रतिवादी संयुक्त खातेदारी हक कराने के अधिकारी है।

––जिम्मे प्रतिवादी

3. अनुतोष

वादीगण की तरफ से वादी स्वयं श्री गौतमलाल के अलावा श्री बाबुलाल पिता हुजाजी मीणा निवासी झापा, श्री कावजी पिता जीवा मीणा निवासी वीरपुर, श्री रमण पिता राजा मीणा निवासी झापा, श्री लखमा पिता विरजी मीणा निवासी झापा एवं कांतीलाल पिता जीवा मीणा निवासी झापा के बयान शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए उन्हें न्यायालय में परिक्षित कराया गया तथा दस्तावेज ग्राम पंचायत विरपुर का प्रमाण पत्र दिनांक 28.06.2015 प्रदर्श–1, जमाबंदी ग्राम झापा खाता सं. 95/92 संवत् 2069–72 प्रदर्श–2 एवं जमाबंदी ग्राम वीरपुर खाता संख्या 210/161 संवत् 2070–73 प्रदर्श–3 को प्रदर्शित करवाते हुए अपनी साक्ष्य समाप्त की। प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी सं. 1 श्री हांजा तथा श्री काला पिता थावरा गरासीया नि.वीरपुर एवं श्री राकेश पिता दौलतराम गरासीया निवासी वीरपुर के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये किन्तु उन्हें न्यायालय में परिक्षित नही करवाया गया। प्रकरण दिनांक 10.06.2016 एवं 29.05.2017 को लोक अदालत में भी प्रस्तुत हुआ किन्तु प्रतिवादी सं. 1 उपस्थित नही हुआ है। प्रतिवादी सं. 1 अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी उपस्थित नही हुआ, जिससे उसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

प्रकरण में वकील वादीगण की ओर से दिनांक 17.01.2019 को लिखित बहस के साथ ही मौके के फोटोग्राफ्स भी प्रस्तुत कियेगये है। वकील वादी का कथन है कि वाद वर्णित भूमि किता 11 रकबा 19 बीघा 02 बिस्वा ग्राम वीरपुर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की पेतृक भूमि हैं प्रतिवादी सं. 1 बड़ा भाई होने से

Scanned by CamScanner

भूमि प्रतिवादी सं. 1 के अकेले के खाते दर्ज हो गई है, जबकि वादग्रस्त भूमि पर सेटलमेन्ट पूर्व से ही आज तक अविरल रूपेण बगैर रोकटोक के वादीगण अपने भाई प्रतिवादी सं. 1 के साथ काविज काश्त है। वादग्रस्त भूमि में वादीगण के मकान बने हुए है, कुंए खुदे हुए है, एवं इलेक्ट्रीक मोटर लगी हुई है। पक्षकारगणों के पिता के जीवनकाल में ही वाद वर्णित भूमि पर पक्षकारों का मौके पर हिस्सा होकर अलग अलग काबिज होकर काश्त कर रहे है। वादीगण ने अपना कब्जा काश्त प्रस्तुत गवाहानों से प्रमाणित करवाय है। वादीगण का वदग्रस्त भूमि पर बारह वर्षो से अधिक का कब्जा होकर उनका प्रतिकुल कब्ज भी परिपक्व हो गया हैं। ग्राम पंचायत वीरपुर के प्रमाण पत्र से भी वादीगण का वाद प्रमाणित होता है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वाद के खण्डन में साक्ष्य को परिक्षित नही करवाया है तथा प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वाद कार्यवाही में रूचिं नही लेने एवं अनुपस्थित होने से उसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही हो चुकी है। वादीगण का वाद प्रस्तुत साक्ष्य से भलीभांति प्रमाणित होता है। जिससे वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण के हक में डिक्री पारित की जावे। पेरोकार सरकार औपचारिक पक्षकार के तौर पर उपस्थित रहे है।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत बहस पर मनन करते हुए पत्रावली का अद्योपरांत अवलोकन किया। तनकीवार निर्णय निम्नानुसार दिया जात है :–

तनकी नं. 1 : इस तनकी का भार वादीगण पर था। वादीगण की ओर से वादी श्री गौतमलाल स्वयं पीडब्ल्यु–1 के बयान कराते हुए दस्तावेज प्रदर्श–1 लगायत–3 तक को प्रदर्शित करवाया गया है। स्वतंत्र गवाह के तौर पर श्री बाबूलाल पूर्व सरपंच पी.डब्ल्यु–2, श्री कानजी पी.डब्ल्यु–3, श्री रमण पी.डब्ल्यु–4, श्री लखमा पी. डब्ल्यु–5 एवं श्री कांति पीडब्ल्यु–6 को परिक्षित करवाया गया है। ग्राम पंचायत वीरपुर का प्रमाण पत्र दिनांक 28.06.2015 प्रदर्श–1 के अवलोकन से पाया जाता है कि पक्षकारगण स्व. हिरा के पुत्र होकर वादग्रस्त भूमि पर चारों पुत्रो संयुक्त रूप से मौके पर काविज काश्त है। गवाह श्री बाबुलाल पी.डब्ल्यु–1 ने प्रतिपरिक्षण में कथन किया वादग्रस्त भूमि अकेले प्रतिवादी सं. 1 ने नही निकाली होकर यह पक्षकारगणों के पिता के समय की निकाली हुई भूमि है, जिसे उन्होने चारों पुत्रों में बंटवारा कर दिया है। सेटलमेन्ट के समय बड़े पुत्र श्री हांजा का नाम लिखवा दिया था किन्तु मौके पर सभी काबिज है। गवाह श्री कावजी पी.डब्ल्यु–3, श्री रमण पी.डब्ल्यु–4, श्री लखमा पी.डब्ल्यु–5 एवं श्री कांति पी.डब्ल्यु 6 ने भी वादग्रस्त भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 का उनके पिता के समय से ही बंटवारे अनुसार काबिज काश्त होना कथन किया है।

इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य एवं दस्तावेज के अवलोकन से यह प्रमाणित होता है कि वीरपुर स्थित वादग्रस्त भूमि किता–ा रकबा 19 बीघा 02 बिस्वा पर

Scanned by CamScanner

वादीगण अपने पिता के समय से ही आज तक काश्त काबिज है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत फोटोग्राफ्स के अनुसार भी वादग्रस्त भूमि में वादीगण के मकान व कुंआ होना पाया जाता है। अतः तनकी नम्बर 1 का निर्णय बहक वादीगण किया जाता है।

तनकी सं. 2 :– इस तनकी का भार प्रतिवादी सं. 1 पर था। तनकी उचित ढंग से विरचित नही की गई है। प्रतिवादी सं. 1 शपथ पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त अवसर प्रदान करने पर भी उपस्थित नही हुआ न ही उसकी ओर से कोई अभिभाषक ही उपस्थित हुआ जिससे विदित होता है कि प्रतिवादी सं. 1 उक्त वाद कार्यवाही बाबत् सजग एवं गंभीर नही है। तनकी सं. 1 में किये गये विवेचन अनुसार वादग्रस्त भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 का संयुक्त रूपेण काश्त कब्जा प्रमाणित है। इस तनकी के विवेचन की आवश्यकता नही है। प्रतिवादी सं. 1 ने इसे प्रमाणित नही करवाया है। तनकी विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 3 :– तनकी नं. 1 में किये गये विस्तृत विवेचना अनुसार तनकी सं. 1 बहक वादीगण के निर्णित की गई है, जिससे वादीगण वादग्रस्त भूमि की घोषणा कराने के अधिकारी है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है तथा मौजा वीरपुर पटवार मण्डल रामपुर मेवाड़ा के खाता सं. 163/161 में वर्णित भूमि किता रकबा 19 बीघा 02 बिस्वा में प्रतिवादी सं. 1 के साथ ही वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं. 1 के साथ ही वादीगण का नाम रेवेन्यु रेकार्ड में दर्ज किया जावे। मुताबिक निर्णय डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2019 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(वरसिंह गरासिया)
उपखण्ड अधिकारी
बिछीवाड़ा

Scanned by CamScanner